Spl. (SC/ST) Case No.- 159/2017
CIS No. 232/2017

अररिया (बैरगाछी ओ.पी.) थाना कांड सं.– 03/2012
अंतर्गत धारा– 341, 342, 323, 504, 447, 379/34 भा.द.वि.
एवं 3(x) SC/ST (PoA) Act.

17.11.2022 कुल छः (06) अभियुक्तगण 1. अलाउद्दीन, 2. मो. कलीमउद्दीन, 3. दिलवर, 4. मो. असफाक, 5. बीबी तरन्नुम एवं 6. बीबी किब्बो अनुपस्थित है।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के छः अभियुक्तों मे से चार अभियुक्तगण दिलबर, कलीमउद्दीन, असफाक एवं बीबी किब्बो का बंधपत्र दिनांक 31.07.2019 को खंडित किया गया है एवं शेष दो अभियुक्तगण अलाउद्दीन तथा बीबी तरन्नुम कभी उपस्थित नही हुए।

अभियुक्तों की उपस्थिति के लिए सभी प्रक्रियाऍं पूरी की गई, सभी अधिपत्र निर्गत किये गये। अंतिम अधिपत्र अन्दर धारा 83 दं0प्र0सं0 दिनांक 20.09.2022 को निर्गत किया गया है। आज की तिथि तक न तो अभियुक्तगण द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और ना ही पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है। निर्गत अधिपत्र का तामिला प्रतिवेदन समर्पित नहीं है। ऐसी स्थिति मे अभियुक्तगण की उपस्थिति निकट भविष्य में संभव प्रतीत नहीं होता है।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक धारा 299 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत साक्ष्य नही देना चाहते है।

अतः न्यायहित में सभी छः अभियुक्तगण दिलवर, कलीमउद्दीन, असफाक, बीबी किब्बो, अलाउद्दीन तथा बीबी तरन्नुम को फरार घोषित किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि उक्त सभी फरार घोषित अभियुक्तगण का नाम फरार पंजी में दर्ज कर उनके विरूद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करें तथा इस अभिलेख को विधिवत् अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)
Sd/-

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
–सह–विशेष न्यायाधीश